

अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा  
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपीलवाद सं0- 11 /2022

05.11.22

अभिलेख उपस्थापित।


झारखंड स्टेट फुड कमीशन, से website के माध्यम से शिकायतकर्ता-  
मो0 अब्दुल मनन, ग्राम- धपरा, पो0- महेशटिकरी, प्रखंड- बसंतराय, जिला- गोड्डा के  
द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अनाज वितरण नहीं किये जाने/ निर्धारित  
मात्रा के कम राशन मिलने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है।

अतः इस संबंध में शिकायतकर्ता एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बसंतराय  
को अद्यतन प्रतिवेदन के साथ दिनांक- 05.11.22 को कार्यालय अवधि में अपर  
समाहर्ता, गोड्डा के कार्यालय प्रकोष्ठ को उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा **Email** के माध्यम से आवेदन प्राप्त। उक्त आवेदन में  
शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेखित किया गया है कि उनको जन वितरण प्रणाली/ डिलर के  
द्वारा सारा राशन दे दिया गया है, तथा वाद की कारवाई बन्द करने का अनुरोध किया  
गया है।


अतः आवेदक से प्राप्त आवेदन के क्रम में वाद की कारवाई समाप्त की  
जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता  
-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
गोड्डा।



अपर समाहर्ता  
-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
गोड्डा।